महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के पत्र संख्या जी-2-175/दस-2011-601/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा सरकारी सेवकों (अखिल भारतीय सेवा के आधिकारियों को सम्मलित करते हुए) को कार्यालय ज्ञाप संख्या सा.-4-395/दस-99-600/99, दिनांक 11 जून, 1999 तथा इसके बाद समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा स्वीकृत यात्रार भत्ता की दरों एवं व्यवस्था को निम्न प्रकार पुनरीक्षित किया गया है। जो विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के कर्मचारियों तथा प्राचार्य/अध्यापक/समिति पर लागू होगी।

दैनिक भत्ता, आनुषागिंक व्यय, सड़क भत्ता- ग्रेड वेतन/ वेतनमान के अनुरुप

क्रम संख्या	सरकारी सेवक का ग्रेड वेतन/वेतनमान	'क' वर्ग के नगरों के लिए (रुपये में)	'ख' वर्ग के नगरों के लिए (रुपये में)	साधारण दर 'क' व 'ख' वर्ग से भिन्न स्थानों के लिए (रुपये में)	आनुषागिंक व्यय/आकस्मिक व्यय (पैसे में)	सड़क मील भत्ता
1.	2800 से कम	195	150	120	15 पैसे प्रति किमी	10 रु० प्रति किमी
2.	2800 4200	300	240	195	25 पैसे प्रति किमी	10 रु० प्रति किमी
3.	4600 4800	360	285	240	25 पैसे प्रति किमी	10 रु० प्रति किमी
4.	5400 6600 7600	420	330	270	35 पैसे प्रति किमी	10 रु० प्रति किमी
5.	8700 व अधिक	465	375	300	35 पैसे प्रति किमी	10 रु० प्रति किमी

1. 'क' वर्ग के नगरों के लिए जिनमें नगर पालिकायें तथा कैन्टोमेण्ट और निवकटवर्ती नोटीफाईड एरियाज, जहाँ कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित होगी- कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नोयडा क्षेत्र (गौतमबुद्ध नगर) और गाजियाबाद।
2. 'ख' वर्ग के नगरों के लिए जिनमें नगर पालिकायें तथा कैन्टोनमेण्ट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज, जहाँ कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी- मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर, फर्रुखाबाद और फिरोजाबाद।

सड़क मील भत्ता:- मोटर कार/ जीप आदि से की गई सड़क यात्राओं के लिए:-
रु० 6,600 या उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों के लिए:-

क्रम संख्या	यात्रा की दूरी	पैट्रोल चलित वाहन (रुपये प्रति कि०मी०)	डीजल चलित वाहन (रुपये प्रति कि०मी०)
1.	प्रथम 500 किमी तक	10.00	7.50
2.	500 किमी से अधिक परन्तु 1200 किमी तक	7.00	5.50
3.	1200 किमी से अधिक की दूरी पर	शून्य	शून्य

नोट: प्रश्नगत व्यवस्था केवल उन मामलों में लागू होगी जहाँ यात्रा करने वाले दो स्थान रेल अथवा बस से नहीं जुड़े हैं। रेल अथवा बस से जुड़े स्थानों के बीच यात्रा करने पर अर्ह श्रेणी में की गई यात्रा का टिकट प्रस्तुत करने पर, टिकट का वास्तविक मूल्य किसी अन्य साधन से यात्रा करने पर, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, ए०सी० द्वितीय श्रेणी का किराया अथवा यात्रा पर वास्तविक रूप से किए गये व्यय में से भी कम होगा, ही अनुमन्य होगा। जहाँ रेल अथवा बस की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन स्थानों के लिए सड़क मील भत्ते की देयता अनुमन्य होगी। विशेष परिस्थितियों में कुलपति के पूर्व अनुमोदन से टैक्सी से यात्रा करने पर टैक्सी का वास्तविक भाड़े का आंकलन करते हुए किराया देय होगा।

1. पर्वतीय स्थलों के यात्रा करने वाले को सड़क किमी भत्ता की दरों में 33.50% की वृद्धि पाने के हकदार होंगें।
2. जहाँ आवास एवं भोजन की नि:शुल्क व्यवस्था होगी। दैनिक भत्ता 1/4 देय होगा। जहाँ एक सुविधा आवास अथवा भोजन की सेवा उपलब्ध होगी वहाँ दैनिक भत्ता 1/2 की दर से देय होगा।
3. यदि एक स्थान की यात्रा रेल तथा सड़क दोनों माध्यमों से की जा सकती है परन्तु यात्रा सड़क मार्ग से कार द्वारा की गई है तो उस दिशा में यात्रा देयक का भुगतान (भत्ता तथा सड़क माइलेज) इस प्रकार किया जायेगा मानों यात्रा रेल द्वारा की गई है प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि सड़क से यात्रा करने से माइलेज आदि की भुगतान राशि रेल यात्रा के हिसाब से गणना करने पर कम न आ रही हो।
4. यदि एक स्थान रेल सड़क दोनों से जुड़ा हो तो यात्रा का भुगतान रेल अथवा सड़क में से जो मितव्ययी होगा, किया जायेगा।